न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 5/2018

प्रार्थीः–	बनाम	अप्राथीः–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार –सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		श्री ख्यालीलाल पुत्र श्री जगदीश तेली,निवास स्थान–बनवार मौहल्ला, रायपुर, जिला भीलवाडा, मैसर्स बालाजी आईसक्रीम, तहसील के सामने, आहोर, जिला जालोर मो.नं. 9772397917

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 51 के तहत्

उपस्थिति :–

1.प्रार्थी की ओर से श्री गजेन्द्रकुमार सिंहल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर उपस्थित।

2.श्री अभिनव सुथार,अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.3.2018

1. प्रार्थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से सम्पन्न कर रहे है और प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2016 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12. 2015 के अनुसार प्रार्थी को कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। कमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना कमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.4.2017 को 1.00 पी.एम पर मैसर्स बालाजी आईसक्रीम आहोर, जिला जालोर पर पहुंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम ख्याली पुत्र जगदीश ने स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2017 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि गाडी के अन्दर डीप फ्रिज में लगभग 15 किलोग्राम आईसक्रीम जो आम जनता को विक्रय के लिए रखी हुई थी। मिलावट का सन्देह होने पर डिप फ्रीज में से वास्ते नमूना जांच हेतु 1200 ग्राम आईसक्रीम खरीदी जिसकी कीमत के विक्रेता को 320 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान जोन मोहम्मद, वाहन चालक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर व प्रकाशसिंह पुत्र भोगीराम,आहोर ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी ने पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी / विक्रेता श्री ख्यालीलाल को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा आईसक्रीम को पुनः एकरूप कर चार बराबर भागो में बांट कर अलग अलग सूखी व खाली बोतलों में लेकर प्रत्येक नमूने में 36–36 बूंद फॉर्मेलिन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर पैक किया। लेबल तैयार कर लेबल पर डी.ओ. के कोड व क्रमांक 743 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान् के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना बोतलो को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.0–743 नियमानुसार चारो नमूना बोतलो पर नीचे उपर की ओर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता / मालिक एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसरो नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक ,राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म नं.6

की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक / एफएसएसए / 2017 / 95 दिनांक 12.5. 2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 391 / एक्ट / 2017 / 390 दिनांक 3.5.2017 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने पत्र कमांक / 6447 दिनांक 28.12.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में **सब स्टेण्डर्ड आईसकीम** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0–743की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफएसएसए / स्वीकृति / 2017 / ओ–743 / 6447दिनांक 28.12.2017 आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 17.1.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.2.2018 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके वकील उपस्थित है।

5 अप्रार्थी ने दिनांक 9.3.2018 को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर प्रस्तुत इस्तगासे के तथ्यों को स्वीकार किया व कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

6. चूंकि परिवाद के अप्रार्थी श्री ख्यालीलाल ने दि.9.3.2018 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर लिखित में अपना जुर्म कबूल किया है व कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है। अतः सरकारी साक्ष्य को तलब करने की आवश्यकता नही है।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार ने बहस में बताया कि खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट में अंकित कुल 9 बिन्दुओं में से केवल 2बिन्दु यानि कम सं.1–मिल्क फेट कम आई है व कम सं.3–स्टार्च पॉजिटिव आया है। अप्रार्थी के वकील ने बहस में बताया कि जांच रिपोर्ट में अंकित कुल 9 बिन्दुओ मे से मात्र 2 बिन्दुओ में ही अप्रार्थी अपात्र पाया गया है। अप्रार्थी की यह प्रथम गलती है व आगे से इस गलति की पुनरावृति अप्रार्थी नही करेगा। अतः अप्रार्थी पर कम से कम शास्ति आरोपित करावे।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं परिवाद में वर्णित तथ्यों,अप्रार्थी का जवाब प्रार्थनापत्र तथा प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच–रिपोर्ट संख्या एल एस / 391 / एक्ट / 2017 / 390 दिनांक 3.5.2017 से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी से ली गई आईसकीम का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 51 में निर्धारित है। अप्रार्थी का उक्त माल सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अतः उपरोक्त को मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त सब स्टेण्डर्ड आईसकीम विकय करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी पर 3000/–रूपये अक्षरे तीन हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड– "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक / कोर्ट / 2018 / 276–279 दिनांक 14.3.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार सिंहल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।
4.अप्रार्थी–श्री ख्यालीलाल पुत्र श्री जगदीश तेली,जाति तेली, निवासी–बनवार मौहल्ला रायपुर, जिला भीलवाडा, मैसर्स–बालाजी आईसक्रीम,तहसील के सामने, आहोर, जिला जालोर मो.नं.972397917

S.d.
(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर